कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

क्रमांक- प-2 (77-82) /जविप्रा/2002/ डी-1714

दिनांक 30/4/2002

विषय : जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 82वीं बैठक का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की दिनांक 29.04.2002 को प्रात: 11.30 बजे प्राधिकरण के समिति कक्ष मे आयोजित 82वीं बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

1. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर ।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
6. जिला कलैक्टर, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ।
9. पुलिस अधीक्षक, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर ।
11. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर ।
12. मुख्य अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
13. निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
14. निदेशक (अभियांत्रिकी), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
15. निदेशक (आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक (विधि),जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर (विशेष रूप से आमंत्रित)।
2. अतिरिक्त आयुक्त(भूमि एंव योजनाये/प्रशासन), जयपुर विकास प्राधिकरण(विशेष रूप से आमंत्रित)।
3. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) जविप्रा, जयपुर (विशेष रूप से आमंत्रित)।
4. उपायुक्त (जोन) जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ ।
5. विशेषाधिकारी जन सम्पर्क, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
6. अधिशासी अधिकारी(प्रोटोकाल एंव नजारत) जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपायुक्त(समन्वय)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक-प-2 (77-82)/जविप्रा/2002/ डी-1714 दिनांक 30-4-2002

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 82 वीं बैठक दिनांक 29.04.2002 का कार्यवाही विवरण।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 82वीं बैठक, दिनांक 29.04.2002 को प्रात:11.30 बजे श्री जी.एस.सन्धु, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में प्राधिकरण की समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नाकिंत विवरणानुसार निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव संख्या 82.1	कार्यकारी समिति की 81वीं बैठक की कार्यवाही विवरण की पुष्टि।
पारित प्रस्ताव संख्या 82.1	कार्यकारी समिति की 81वीं बैठक दिनांक 26.2.2002 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया तथा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।
प्रस्ताव संख्या 82.2	कार्यकारी समिति की 81वीं बैठक के निर्णयों की कियान्विति की रिपोर्ट।
पारित प्रस्ताव संख्या 82.2	कार्यकारी समिति की 81वीं बैठक की कियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर कियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया ।
प्रस्ताव संख्या 82.3	Administrative and financial approval for construction of 4500 kiosks through AVL under Mukhya Mantri rojgar yojna.
पारित प्रस्ताव संख्या 82.3	विचार-विमर्श के पश्चात समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार 4500 कियोस्क के निर्माण हेतु 397.80 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्रदान की गई । उक्त 397.80 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति में दिनांक 25.1.2002 को 1892 कियोस्क बनाने हेतु जारी की गई 167.25 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्मिलित होगी ।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रस्ताव के अनुसार आवास विकास लिमिटेड को 1892 कियोस्क निर्माण हेतु 80.41 लाख रूपये की दी गई अग्रिम राशि की भी पुष्टि की गई तथा भविष्य में भी आवास विकास लिमिटेड को अग्रिम राशि दिये जाने हेतु जयपुर विकास आयुक्त को अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 82.4

जयपुर विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशनर्स चिकित्सा योजना लागू करने बाबत ।

पारित प्रस्ताव संख्या 82.4

बैठक में प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और प्रस्ताव का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया :-

प्रत्येक सेवानिवृत कर्मचारी ओर उनके जीवन साथी को 65 वर्ष की आयु तक वर्ष में अधिकतम 15,000/-रूपये का इण्डोर चिकित्सा बीमा कम्पनी की सुविधा ''मेडीक्लेम योजना'' के तहत उपलब्ध करवाया जावेगी । यह सुविधा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत जयपुर के सभी अस्पतालों में एवं जयपुर के बाहर स्थित राजकीय अस्पतालों में एवं बीमा कम्पनी द्वारा अधिकृत अस्पताल में चिकित्सा करवाने पर ही उपलब्ध होगी । इण्डोर चिकित्सा व्यय में बीमा कम्पनी की शर्तो व सीमा तक निम्न सुविधा पुनर्भरण योग्य होगी :-

1. चिकित्सा के दौरान कय की गई दवाओं का वास्तविक मूल्य ।
2. अस्पताल के रजिस्ट्रेशन, कन्सल्टेनश एवं प्रशासनिक व्यय।
3. कर्मचारी सेवानिवृति के दिनांक को जिस श्रेणी के कमरे के लिए (इण्डोर मरीज के रूप में) पात्र था उसका किराया ।
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में देय पेंशन के साथ चिकित्सा पुनर्भरण के रूप में वर्ष के लिए 500/-रूपये का भुगतान किया जावेगा । यह व्यवस्था आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी । इसके पश्चात इस पर पुनर्विचार किया जा सकेगा ।

प्रस्ताव संख्या 82.5

प्राधिकरण में कार्यरत बेलदार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के संबंध में ।

पारित प्रस्ताव संख्या 82.5

बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि जिन पदों के विरूद्ध बेलदारों/च.श्रे.क. के पद पर पदोन्नति चाही जा रही है वे 40 कनिष्ठ सहायक के पद

सचिव
विकास प्राधिकरण
जयपुर

पूर्णत: अस्थाई पद है, अत: अस्थाई पद के विरूद्ध पदोन्नति दिया जाना संभव नहीं होने के कारण उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 82.6

Agenda item for approval of tender for "Improvement & Widening of Amer Road from Zorawar Singh Gate to Kanak Virndavan temple, jaipur.

पारित प्रस्ताव संख्या 82.6

विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त पत्रावली पर पहले निदेशक(वित्त)के द्वारा परीक्षण करवा लिया जावे एवं निदेशक(वित्त) की राय के पश्चात जयपुर विकास आयुक्त निविदा के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय लेंगे । यह भी निंर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त मामलों को जिनमें वित्तीय प्रकरण हो भविष्य में कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व सभी पत्रावलियॉ निदेशक(वित्त)के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की जावे ।

प्रस्ताव संख्या 82.7

ड्यूफूल लेबोरेट्री प्रा0लि0 की ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 336 मी., 401/1 मी. की भूमि में से 6000व.ग. (5016.6 व.मी.) भूमि का भू उपयोग उपान्तरण रीजनल पार्क से औधोगिक (दवाई उधोग) किए जाने हेतु ।

पारित प्रस्ताव संख्या 82.7

विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में निदेशक(आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण पहले इस बात का परीक्षण कर लेवे कि प्रस्तावित उपान्तरण क्षेत्र में ''हाई टेनशन लाईन'' से नियमानुसार कितनी दूरी को सुरक्षित दूरी माना जाना चाहिए । निदेशक(आयोजना) द्वारा उपरोक्त परीक्षण किये जाने के पश्चात आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को इस प्रकरण में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 82.8

प्राधिकरण में साईट अभियंता के 12 पदों को सेक्टर अभियंता के पदों में अस्थाई रूप से कमोन्नत करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव संख्या 82.8

बैठक में विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि साईट अभियंताओं के 12 पदों को दिनांक 1.3.2002 से अस्थाई तौर पर सेक्टर अभियंताओं के पद पर कमोन्नत कर दिया जावे, परन्तु यह कमोन्नति पूर्णत: अस्थाई होगी तथा इन कमोन्नत पदो को केवल प्रतिनियुक्ति से लिये गये

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

अभियंताओं के माध्यम से भरा जा सकेगा । प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले 12 सेक्टर अभियंताओं को आवश्यकता पडने पर साईट अभियंता(कनिष्ठ अभियंता)का कार्य भी करना पडेगा ।

प्रस्ताव संख्या 82.9 — विधि स्नातक प्राधिकरण कनिष्ठ सहायक/सहायक से विधि सहायक के पद पर नियुक्ति बाबत ।

पारित प्रस्ताव संख्या 82.9 — उपरोक्त एजेण्डा बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श पश्चात यह निर्णय लिया गया कि उक्त एजेण्डा बिन्दु में दिये गये प्रस्ताव उचित एवं तर्कसंगत नहीं है । अत: प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है ।

प्रस्ताव संख्या 82.10 — Approval for raising Over draft facility by Rs. 25.00 crores upto August 2002

पारित प्रस्ताव संख्या 82.10 — विचार-विमर्श पश्चात 25.00 करोड रूपये के ओवर ड्राफ्ट की राशि अगले 6 माह अर्थात 31 अगस्त 2002 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव संख्या 82.11 — बेलदारों से हेल्पर के पद में परिवर्तित किये गये कर्मचारियों को हेल्पर की वेतन श्रृंख्ला देने बाबत ।

पारित प्रस्ताव संख्या 82.11 — विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा प्रस्ताव अनुसार बेलदारों से हेल्पर के पद पर परिवर्तित किये गये कर्मचारियों को हेल्पर ग्रेड II की वेतन श्रृंख्ला-2 (2610-3510)दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

बैठक अंत में सधन्यवाद समाप्त हुई ।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर ।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 82वीं बैठक दिनांक 29.04.2002 को प्रातः 11.30 बजे प्राधिकरण के समिति कक्ष में श्री जी.एस.सन्धू, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई । बैठक में निम्न सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया:-

क्र.सं.	नाम सदस्य/अधिकारी	पदनाम/विभाग	हस्ताक्षर
1.	[illegible]	A.A. Secretary JDA	
2.	P.R. Sharma	Dir.(F) JDA	
3.	P.C. BARDIYA	Director (Engg)	
4.	Bhoopendra Kr Sharma	Dir. (Law)	
5.	Ranjit Singh	CCE	
6.	PRAVEEN JAIN	DTP, RIICO	
7.	D.C. Katara	Add. CE (Proj)	
8.	HEMANT MURDIA	DIRECTOR (TOWN PLANNING)	
9.	L.M. Soni	A.D.M. City (as per instructions of Coll. Sb..	29.4.02
10.	Vijendra Thada	Addl SP (South)	
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			